तत्काल

# छत्तीसगढ शासन
# राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
## मंत्रालय
## महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 6–228/सात–3/2010 रायपुर, दिनांक 17 सितम्बर,2013 17 SEP 2013

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़

विषयः– छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 165 की उप–धारा 4–क के प्रावधानों के कियान्वयन के संबंध में ।

---

छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम,2013 (कमांक 22 सन् 2013) के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता, 1959 के विभिन्न प्रावधानों में संशोधन किया गया है। उक्त संशोधित अधिनियम का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र दिनांक 19/8/2013 में किया जा चुका है। संशोधित अधिनियम विभाग की वेबसाईट **www.cg.nic.in/revenue** में उपलब्ध है ।

2/ उक्त संशोधन के माध्यम से संहिता की धारा 165 में नवीन उप–धारा 4–क जोड़ा गया है, जिसके माध्यम से कृषि भूमि का अन्तरण वास्तविक कृषक से भिन्न व्यक्ति को नहीं किये जाने का प्रावधान किया गया है तथा इस प्रावधान के कियान्वयन के लिए नियम बनाने एवं उसे अधिसूचित करने हेतु राज्य सरकार को अधिकृत किया गया है।

3/ उक्त प्रावधानों के परिपालन में शासन द्वारा संशोधित अधिनियम की धारा 165 (4–क) के प्रावधानों के कियान्वयन हेतु नियम बनाने की कार्यवाही की जा रही है। अभी उक्त कार्यवाही प्रकियाधीन है। नियम को अंतिम रूप दिये जाने में अभी समय लगने की संभावना है। अतः शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जब तक नियम का प्रकाशन छत्तीसगढ़ के राजपत्र में नहीं हो जाता, तब तक पूर्व प्रचलित नियमों के तहत् भूमि के अंतरण/पंजीयन की नियमानुसार कार्यवाही की जावे ।

(के0आर0पिस्दा) 17/9/2013
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कमशः 02

17 SEP 2013

पृ0कमांक एफ 6–228/सात–3/2010 रायपुर, दिनांक 17 सितम्बर,2013

प्रतिलिपिः–

1/ विशेष सहायक /निज सहायक, मान0मंत्री जी ,छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण, स्कूल शिक्षा, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, संस्कृति, संसदीय कार्य विभाग/जल संसाधान, आयाकट, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन,प्रौद्योगिकी विभाग/ कृषि, पशुपालन,मछली पालन एवं श्रम विभाग तथा आवास एवं पर्यावरण ,परिवहन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, तथा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग/ मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर छत्तीसगढ़।

2/ समस्त संभागीय आयुक्त, छत्तीसगढ़

3/ सचिव, छत्तीसगढ़ राजस्व मण्डल बिलासपुर

4/ महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, छत्तीसगढ़

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

17/9/2013

सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग